

प्रमाण पत्र

मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र रायपुर को गैरवानिकी कार्य हेतु बालोद जिला में आरक्षित वनमण्डल बालोद/में **ग्राम दानीटोला** के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु **रकबा 1.0500** हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

2. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के पुरुर-झलमला - बालोद -कुसुमकसा-मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में 2/3 लेन मय पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि 1.0500 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **ग्राम दानीटोला, तहसील डौण्डी** में स्थित है तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

3. ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक **25/04/2017** (प्रदर्श-“ब”) एवं वन एवं राजस्व विभाग संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-“अ”) पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव (ग्राम पंचायत दानीटोला) ग्राम के सरपंच श्रीमति महेश्वरी अलेन्द्र की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक **25/04/2017** में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार सं समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार हैं :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे.)
1	दानीटोला	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 61 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **25/04/2017** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार “ अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006” की धारा 3 (1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

7. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक **25/04/2017** के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

दिनांक '12/05/2017

नाम (सजेश सिंह राणा)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला बालोद

प्रमाण पत्र

मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र रायपुर को गैरवानिकी कार्य हेतु बालोद जिला में आरक्षित वनमण्डल बालोद/में ग्राम दानीटोला के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा 1.0500 हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

2. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के पुरुर-झलमला - बालोद -कुसुमकसा-मानपुर मार्ग (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा) में 2/3 लेन मय पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि 1.0500 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम दानीटोला, तहसील डौण्डी में स्थित है तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

3. ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 25/04/2017 (प्रदर्श-“ब”) एवं वन एवं राजस्व विभाग संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-“अ”) पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव (ग्राम पंचायत दानीटोला) ग्राम के सरपंच श्रीमति महेश्वरी अलेन्द्र की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 25/04/2017 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 50 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार सं समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई । यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं।

(अथवा)

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार हैं :-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे.)
1	दानीटोला	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 61 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 25/04/2017 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं हैं, जिनका वन अधिकार “ अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006” की धारा 3 (1)(c) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

7. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 25/04/2017 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

दिनांक 12/05/2017

नाम (सजेश सिंह राणा)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला बालोद